बिहार लोक सेवा आयोग

15, नेहरू पथ, (बेली रोड) पटना–800001

आवश्यक सूचना

विज्ञापन संख्या–04/2022, शिक्षा विभाग, बिहार के अन्तर्गत प्राथमिक विद्यालयों में प्रधान शिक्षक के पदों पर नियुक्ति हेतु प्रकाशित विज्ञापन में शिक्षा विभाग, बिहार, पटना के पत्रांक–423, दिनांक–11.04.2022 के आलोक में विज्ञापन की कंडिका–3 अनुभव (v) (क) के संबंध में संबंधित विद्यालय के प्रधानाध्यापक/प्रभारी प्रधानाध्यापक/प्रभारी शिक्षक द्वारा अनुभव प्रमाण पत्र निर्गत किया जायेगा। शिक्षक अभ्यर्थी के स्वयं प्रभारी होने की स्थिति में अनुभव प्रमाण पत्र प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी द्वारा निर्गत किया जायेगा। चयन के उपरांत नियुक्ति के समय जिला कार्यक्रम पदाधिकारी (स्थापना) द्वारा अभ्यर्थी के अनुभव प्रमाण पत्र को सम्पुष्ट कर प्रतिहस्ताक्षरित किया जायेगा।

पंचायतीराज संस्थान एवं नगर निकाय संस्थान के अंतर्गत प्रशिक्षित मूल कोटि/स्नातक शिक्षक, जिनकी सेवा लगातार दो वर्ष पूरी हो चुकी हो, उनकी सेवा सम्पुष्ट मानी जायेगी। इसके लिए अलग से प्रमाण पत्र निर्गत करने की आवश्यकता नहीं है।

अनुभव प्रमाण पत्र का विहित प्रारूप आयोग के वेबसाईट **www.bpsc.bih.nic.in** पर उपलब्ध है।

विज्ञापन की शेष शर्तें यथावत रहेगी।

18.4.22

संयुक्त सचिव–सह–परीक्षा नियंत्रक,
बिहार लोक सेवा आयोग, पटना।